





3. संस्था / सचिव :-

- 1- संस्था की ओर से संस्था प्रचार का व्यवहार करना, सीमित पुस्तकालय व अल्पसे पुस्तकालयों की स्थापना, संचित कार्यालयी विद्यालय ।
- 2- संस्था को सर्वोत्तम की कार्यवाही दिखाना ।
- 3- संस्था को फल-संग्रह संग्रहित की सुझाव देना, दान, अनुदान तथा अन्य धर्मों से प्राप्त समर्थन व सहायता प्राप्त करना तथा । प्राप्त आगम की संस्था को ज्ञान से प्राप्त करना व विचारना ।
- 4- संस्था की ओर से सार्वजनिक प्रचार की अत्यन्त आवश्यकता की पैदा करना ।
- 5- संस्था को संचालित कार्यवाही व शिक्षालयों में कार्यवाही कार्यवाहियों एवं परामर्शदाताओं को नियुक्ति, नियुक्ति, पदोन्नति एवं परामर्श देना, उनकी सेवा शर्तों को नियम बनाना, सेवा करने तथा फल व उनका सुझाव करना। सार्वजनिक प्रचार प्रचारित करना ।
- 6- संस्था के नाम पर अत्यन्त आवश्यकता, जग, अनुदान-पत्रों, पैसे, इत्यादि, फल-विचारों, विचार-संग्रहों का इनाम करना ।
- 7- संस्था के विकास हेतु के सभी आवश्यक कार्य प्रचार को कि संस्था के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से संस्था को विचार में प्रचारित हो जाना ।

4. उपप्रबंधक / उपसचिव :-

- 1- सचिव की उपस्थिति में कार्य करने में सहायता देना ।
- 2- सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा लिखित रूप से सौंपे गये कार्यों को करना ।

सहायक :-

- 1. संस्था को कार्य-व्यय का लेखा-पंजीयन रखना व बीमा की बातों में जाना ।
- 2. स्वयंसेवा/सचिव द्वारा उपस्थित कार्यों को करना ।



उपस्थित है

Signature

Signature

Signature

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन अधिकार :-

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन अधिकार, परिवर्तन संशोधन करने के लिए सचिव को संस्था द्वारा सौंपे गये कार्यों को करना ।

12. संस्था का लोगो व लेखा व्यवस्था :-

संस्था का लोगो-चिह्न भी देना अथवा फोटो अधिकार में संस्था की नाम से संस्था को संशोधन करना । विनियम-संचालन संस्था के अध्यक्ष, उपप्रबंधक/सचिव व सहायक में से किसी से को संशोधन अधिकारों द्वारा अध्यक्ष अपने अधिकृत अधिकारों से द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण :-

संस्था का लेखा-परीक्षण प्रतिवर्ष या अल्पकालिक किसी योग्य ऑडिटर व आयकरकतनुसार ऑडिट एंगलमेंट द्वारा करना जायेगा ।

14. संस्था को द्वारा अध्यक्ष उससे विकृत अथवा अयोग्य कार्यवाही में संशोधन का उत्तरदायित्व :-

संस्था द्वारा होने वाली संस्था प्रचार व आंतरिक कार्यवाही में संशोधन को किसी संस्था को उपप्रबंधक/सचिव द्वारा संस्था के द्वारा अधिकृत अधिकारों द्वारा भी जायेगा ।

15. संस्था के अधिकार :-

- 1- सदस्यता समिति
- 2- कार्यवाही समिति
- 3- संचालक, सचिव व सहायक
- 4- संस्था समिति
- 5- निर्देशन समिति

16. संस्था का विषय :-

सचिव अधिकार में सभी संस्था का विचार देना है जो संस्था के विषय और निर्धारित समिति को विचारना की कार्यवाही संचालित अधिकृत अधिकारों के द्वारा 13 व 14 के अनुसार की जायेगी ।

दिनांक :-

सत्य-प्रतिलिपि

सत्य-प्रतिलिपि

Handwritten signature and date: 20/11/2020

Official stamp: Ministry of Education, Government of India

Handwritten signature